

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
369/2025

दायर दिनांक
09.07.2025

निर्णय दिनांक
12.1.2026

- उनवान
1. बदाम देवी पत्नी कालु खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीया

बनाम

1. अन्जु पत्नी महेश न्याति निवासी भदादा बाग के पिछे भीलवाडा।
2. अल्का पत्नी विष्णुस्वरूप न्याति निवासी भदादा बाग के पिछे भीलवाडा।
3. कल्ला पत्नी रवीन्द्र न्याति, निवासी भदादा बाग के पिछे भीलवाडा।
4. सीता पत्नी कमलेश न्याति निवासी भदादा बाग के पिछे भीलवाडा।
5. कृष्णा औझा पत्नी नदवर औझा निवासी 9-ए-24 आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
6. मांगी पुत्री किशना बलाई निवासी धुमडास तहसील व जिला भीलवाडा। — डिलिट
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनोहरलाल बुनकर उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 उपस्थित नहीं

∴ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

∴ निर्णय ∴-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धुमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1050/13, 11, 12, 13, 6 कुल रकबा 1.3783 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहती है। मैंने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम धुमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1050/13, 11, 12, 13, 6 कुल रकबा 1.3783 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 1.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)

उपस्थित अधिकारी

भीलवाडा